

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र**(दिनांक 06/12/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)**

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 06/12/2024 को सुबह 10:30 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे: -

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामिती)
2. श्री सैबल राँय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती हेमलता हेदाऊ, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय, कार्यालय अपर डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।
4. श्री दुर्गेश,, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग नौएडा।
5. श्री विनय कुमार, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नौएडा के प्रतिनिधि।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) किरण मोहन मोहदिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र और (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:**(1) दिनांक 25/11/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।**

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 25/11/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही कोई आपत्ति थी। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया और तदनुसार, 25/11/2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) एसबीजेड सॉल्यूशंस- कंपनी के निदेशकों में परिवर्तन।

2.1 इकाई के देश प्रबंधक श्री दिग्विजय नाथ पांडे अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और बताया कि कंपनी के निदेशकों में परिवर्तन के कारण शेयरधारिता स्वरूप में भी कुछ परिवर्तन हुआ है।

2.2 समिति को बताया गया कि इकाई को नए निदेशक की नियुक्ति और बायो-डेटा के लिए डीआईआर-12 प्रस्तुत करना आवश्यक है और शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन के बारे में जानकारी देनी होगी।

2.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, लंबित दस्तावेजों/सूचनाओं को प्रस्तुत करने के अधीन, दिनांक 18/10/2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार कंपनी के निदेशक में परिवर्तन पर ध्यान दिया। शेयरधारिता में परिवर्तन के संबंध में, अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त

06/12/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

कार्यालय को इकाई द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर विकास आयुक्त की स्वीकृति के साथ फाइल पर शेयरधारिता स्वरूपपर ध्यान देने का अधिकार दिया। इसने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे परिवर्तनों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संपदा प्रबंधन अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को प्रदान किया जाए।

(3) एलीट बास्केट प्राइवेट लिमिटेड-स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करना।

3.1 इकाई के निदेशक श्री कुशाग्र तिवारी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

3.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए:

1. व्यापार मॉडल को देखते हुए व्यापार के लिए प्रस्तावित उत्पादों के संबंध में शामिल संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदन समिति ने इकाई को व्यापार की अनुमति नहीं दी।
2. अनुमोदन समिति ने फाइल/कार्यसूची नोट में देखे गए दस्तावेजों/सूचनाओं को प्रस्तुत करने के अधीन इकाई के मौजूदा स्वीकृति पत्र (LOA) में अखरोट और बादाम के विनिर्माण जैसे अधिकृत संचालन की अनुमति देने का निर्णय लिया।

(4) जगत रत्न एवं आभूषण- विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार कार्य निष्पादन की निगरानी।

अनुमोदन समिति ने इकाई के कार्य निष्पादन की निगरानी की तथा इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय और मूल्य संवर्धन की उपलब्धि को ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने यह भी ध्यान दिया कि कोई निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं है।

(5) आर्शी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड- मेसर्स आर्शी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भंडारण गतिविधि के लिए ग्राहक के अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) का प्रस्तुतीकरण तथा उसके लिए अनुमोदन मांगा गया।

अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के पश्चात पाया कि कोई अनुमोदन जारी करने की आवश्यकता नहीं है तथा इकाई को विकास आयुक्त कार्यालय में अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) विवरण/दस्तावेज प्रस्तुत करने सहित निर्देश 117 दिनांक 24/09/2024 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना है।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।



किरण मोहन मोहाडीकर
उप विकास आयुक्त



(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त